प्रपत्र-छ

[.म-14 का उप-नियम (2) देखिये]

भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवक,

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र बड़ौत (बागपत)

सेवा में, श्री वर्धमान जैन पिता श्री मनोहर लाल जैन

महोदय, 810, श्री बाबू राम जैन निo पिलली-तहालपुर रोड (रोडवेज वर्क

कालोनी/मार्ग पिलली-सहालपुर मोहल्ला/बाजार पश्चिमी नगर बड़ौत थाना के पास

में प्लाट संख्या ---- पर/में खसरा संख्या ---- के भवन संख्या 1C

के/में निर्माण/पुनर्निर्माण/सारवान/परिवर्तन/गिराने के लिये अनुज्ञा देने के लिये आपके आवेदन पत्र 2003/03

दिनांक 26-2-03 के सन्दर्भ में मुझे आपको सूचित करना पड रहा है कि नियत प्राधिकारो द्वारा निम्नलिखित शर्तो के साथ मानचित्र में निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण प्रारम्भ करने के पश्चात इस कार्यालय को प्रपत्र "ज" में सूचना देनी होगी।
2. सार्वजनिक भूमि, सरकारी भूमि ओर नजुल लैण्ड पर किसी भी दशा में अतिक्रमण अपराध है। जो किसी भी समय हटाया जा सकता हैं, ओर गिराने का व्यय भी प्रार्थी से वसूल किया जायेगा।
3. निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करना सुनिश्चित करे अन्यथा आर. बी. ओ. एक्ट 1958 की धारा 10 एवं 9 के अन्तर्गत निर्माण गिराने के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है।
4. यह मानचित्र स्वीकृति दिनांक में एकल आवासीय भवने के लिये पांच वर्ष तथा इससे भिन्न प्रयोगन हेतू तीन वर्ष तक वैध हैं।
5. मानचित्रों को इस स्वीकृति में सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निगम जैसे नगरनालिका सुधार मण्डल या किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी से प्रभावित नही होता है।
6. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतू स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग मे लाया जायेगा।
7. यदि भविष्य में विकास कार्यों हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो बिना आपत्ति के देय होगा।
8. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्यो के उपयुक्त नही होगा वहां शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय को विकास कार्य करने को कोई जिम्मेदारी नही है।
9. दरवाजे या खिडकिया इस तरह लगाये जायेगे कि जब वह खुले तो उनके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़को की ओर बढ़ाव न हो।
10. बिजली की लाईन के 5 फिट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नही किया जायेगा।
11. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री बिल्डिंग मैटीरियल न रखा जाये तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वय करना होगा।
12. स्वीकृति मानचित्रो का एक सेट सदैव निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके ताकि निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र स्पेसिफिकेशन के नियम के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन स्थायित्व की जिमेदारी प्रार्थी की होगी।
13. यदि मानचित्र में निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 7 (2) के अन्तर्गत किसी अन्य शर्तो के साथ साथ स्वीकृत किये जाते है तो वह शर्तें भी समान रुप से मान्य होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है आपका ध्यान नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बड़ौत (बागपत) उ० प्र० निर्माण कार्य विनियमन अधिनितम 1958 की धारा 7 (2) के अन्तर्गत प्रसारित आदेशो की ओर आकर्षित करते हुये यह कहना है कि कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप के साथ आप कार्य पूरा होने का प्रमाण लिए बिना भवन प्रयोग में न लाये।
15. यह मानचित्र स्वीकृति भूमि सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नही माना जायेगा यदि भविष्य में किसी प्रकार का भूमि स्वामित्व सम्बन्धी विवाद पाया जाता है तो आवेदक उसके लिये स्वंम जिम्मेदार होगा व दी गयी मानचित्र स्वीकृति स्वत: निरस्त समझी जायेगी।
16. नगरीय क्षेत्र के समस्त भूतल सहित तीन मन्जिल से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक उचाई के भवन की नीव निर्माण एवं सुधार स्ट्रकचर में भूकम्प रोधी प्रवाधाव करना होगा तथा निर्माण का सुपरविजन अह वास्तुविद द्वारा कराना होगा एवम् पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण-पत्रप्राप्त किये बिना भवन अथवा उसके अदा में उपयोग नही किया जायेगा।
17. आवेदक द्वारा अधिवक्ता द्वारा दर्शाई गई दीवाल अनुपालनीय होगी।

संलग्न-स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

03/11/03
नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र बड़ौत (बागपत)

कार्यालय मोहर
कार्यालय/संसूचना/संख्या 209 | 30-9-03
दिनांक 3/12/03

VANASTHALI PUBLIC SCHOOL ★ Baraut